न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :— नयन गौतम आई.ए.एस.

अनवान :— राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :— 115/2024

1. श्याम लाल पुत्र श्री हेत राम जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. मनीष देव पुत्र श्री श्याम लाल जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

— — प्रार्थीगण

—:: बनाम ::—

1. अरूल पुत्र श्री बलवन्त सिंह जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. इन्द्रपाल पुत्र श्री मनी राम जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. रानी देवी पत्नी श्री बलवन्त सिंह जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. सारूल पुत्री श्री बलवन्त सिंह जाति बिश्नोई निवासी साधुवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ।

— — अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत रास्ता

—:: उपस्थित अभिभाषक ::—

1. श्री सुभाष मिढ़ढा	प्रार्थीगण
2. श्री विक्रम पूनिया	अप्रार्थी संख्या 1 ता 4
3. पैरोकार राज	अप्रार्थी —5

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 03.10.2025

प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण का पेशा काश्तकारी है, प्रार्थीगण का पंजीकृत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो प्रार्थना पत्र के शीर्षक में अंकित है। आवेदकगण के पास चक 1 जैड पटवार हल्का 4 जैड तहसील श्रीगंगानगर के खाता संख्या 108/120 मुरब्बा नम्बर 29 के किला नं0 1/1 में [illegible] नहरी 1/2 में 0.0250 खाला, 2/1 में 0/0.2280 है0 नहरी, 2/2 में 0.02[illegible] है0 [illegible] 3/1 में 0.2280 है0 नहरी, 3/2 में 0.0250 खाला, कि[illegible] 0.2540 हैक्टेयर नहरी, 13/1 में 0.1010 है0 नहरी, 19/[illegible] 2 में 0.0380 है0 खाला, 19/3 में 0.1140 हैक्टेयर नहरी, किला नं0 20 में 0.25[illegible]0 नहरी, 21/1 में 0.101[illegible] है0 नहरी 21/2 में 0.0380 खाला, 21/3 में 0.1140 है0 नहरी, किला नं0 22 में

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

0.253 है0 नहरी इस प्रकार से कुल 3.1370 हैक्टेयर कृषि भूमि है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण को अपने रकबा में आने जाने के लिये रास्ता खाता संख्या 87/39 मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 23, 24 व 25 में से होकर अपने रकबा मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 22 में प्रवेश करता है तथा उक्त रास्ता काफी वर्षो से चलता आ रहा है तथा इसी रास्ता से ही प्रार्थीगण अपने खेत में आने जाने के लिये एंवम साधनों को लेजाने के लिये प्रयोग करते आ रहे हैं। यह कि प्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ता के सम्बंध में अप्रार्थीगण को कई बार स्वीकृत करवाने का आग्रह किया परन्तु अप्रार्थीगण उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाने में आना कानी कर रहे हैं तथा प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता के अलावा अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य कोई रास्ता नहीं है। अब अप्रार्थीगण के मन में बदनिती आ गई है तथा वे पारिवारिक रंजिश के कारण उक्त चालू रास्ता को जो कि मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 23, 24, 25 में चल रहा है को बंद करवाने की धमकी देने लगे हैं। अगर उक्त रास्ता को बंद कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपने रकबा में नहीं पहुंच पायेंगे ऐसी सूरत में वर्तमान में चल रहे रास्ता मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 23, 24, 25 को मंजूर किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक एंवम न्यायोचित है। उक्त रास्ता को जो कि पूर्व में चल रहा है में अप्रार्थीगण द्वारा बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14–10–2021 को तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रास्ता के सम्बंध में रिपोर्ट मंगवाई गई जिस रिपोर्ट में पटवार हल्का 4 जैड द्वारा यह अंकित किया कि मुरब्बा नम्बर 29 चक 1 जैड में किला नम्बर 1, 2, 3, 8 ता 12, 13/1, 19 ता 22 नहरी मय खाला रकबा 3.137 हैक्टेयर प्रार्थीगण का है इस रकबा के लिये मौका पर मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 23, 24, व 25 में आंशिक में से रास्ता चल रहा है। इस सम्बंध में तहसीलदार द्वारा की गई रिपोर्ट की फोटो प्रति संलग्न है । आवेदकगण उक्त रास्ता के बदले में डी एल सी दर से अप्रार्थीगण को राशि भुगतान करने को तैयार हैं। आवेदकगण ने अप्रार्थीगण से उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का कई बार अनुरोध किया परन्तु अप्रार्थीगण ने रास्ता स्वीकृत करने व राजस्व रिकार्ड में पृष्ठांकन करवाने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 6–7–2024 को यह धमकी दी कि शीघ्र ही उक्त रास्ता को बंद कर देंगे इस कारण आवेदकगण को उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना पड़ रहा है । आवेदकगण की कृषि भूमि जिसके लिये रास्ता स्वीकृत करवाना है माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है इसलिये आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जो कि अन्दर अवधि उचित न्याय शुल्क पर पेश है । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थानकाश्तकारी अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 जैड पटवार हल्का 4 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 में प्रार्थीगण के आने जाने के लिये मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 23, 24, 25 में प्रत्येक में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने एंवम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:14 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसी[illegible]र श्री[illegible]नगर की रिपोर्ट ली गई। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 द्वारा [illegible] अंकित तथ्यानुसार प्रार्थी को अपने रकबे में आने–जा[illegible]7/39, मुरब्बा नं. 29, किला नं. 23, 24, 25 में अपने रकबा मुरब्बा नं. 29 के कि[illegible] नं. 22 में प्रवेश करने के तथ्य अस्वीकार है तथा मौका पर उक्त रास्ता नहीं चला आ रहा और ना ही मौका पर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

इस रकबा का उपयोग अपने साधनों को ले जाने के लिये प्रयोग करते आ रहे है। जब मौका पर कोई रास्ता ही नहीं चल रहा तो उसको स्वीकृत करवाने का आग्रह करने के तथ्य असत्य है। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता के अलावा अपने खेत में आने—जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मुरबा नमबर 23 के किला नमबर 1, 10, 11, 20, 21 में से अपने रकबा में उपयोग कर रहा है । मौका पर कोई रास्ता मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 23, 24, 25 में कोई रास्ता ही नहीं चल रहा तो बन्द करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता । मौका पर कोई रास्ता प्रस्तावित रकबा से नहीं चल रहा। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट का कथन किया गया है व पटवारी हल्का से मिलकर अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है जिससे कोई लाभ प्रार्थीगण को प्राप्त होने वाला नहीं है क्योंकि मौका पर कोई रास्ता नहीं चल रहा। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से दर्ज की गई है वह स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के पास अपने रकबा में आने—जाने के लिये इस रास्ता के अलावा विकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, केवल मात्र सुविधा के आधार पर रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है और ना ही प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तावित रास्ता की आत्यन्तिक आवश्कता का कथन किया है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 8 जिस प्रकार से दर्ज की गई है कानूनी है, जिसके उत्तर की कोई आवश्कता नहीं है । अतिरिक्त कथन— पूर्व में मुरब्बा नं. 29 प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण का संयुक्त खाता की भूमि थी तथा प्रार्थीगण सहमति से रकबा का बंटवारा किया था तब प्रार्थीगण को रास्ता को ध्यान में रखते हुये बटवारा करना चाहिये था, लालचवश एवं प्रार्थीगण को परेशान करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थीगण के पास केवल लघु कृषि भूमि का टुकड़ा तथा पूर्व में भी अप्रार्थी की भूमि में खाला चल रहा है, अगर रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी का रकबा रास्ता में ही चला जायेगा जिससे अप्रार्थी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रास्ता स्वीकृत करने से अप्रार्थीगण का रकबा दो टुकडों में हो जायेगा। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किला नं. 23, 24, 25 में दिशा आदि का कोई वर्णन नहीं किया है अर्थात् किला नं. 23, 24, 25 में कौनसी दिशा में रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है उसका कोई उल्लेख अपने प्रार्थना पत्र में नहीं किया है, इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विवरण रहित एवं अस्पष्ट होने के कारण खारिज़ किया जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज़ फरमया जावे।

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।

— :: आदेश ::—

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण की मुख्य बहस यह रही कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 1 जैड पटवार हल्का 4 जैड तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 29 में प्रार्थीगण के आने जाने के लिये मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 23, 24, 25 में प्रत्येक में 2—2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे। **वकील अप्रार्थीगण की जवाब बहस यह रही कि** प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता के अलावा अपने खेत में आने—जाने के लिये वैकल्पिक रास्ता मुरबा नमबर 23 के किला नमबर 1, 10, 11, 20, 21 में से अपने रकबा में उपयोग कर रहा है। मौका पर कोई रास्ता मुरब्बा नं. 29 के किला नं. 23, 24, 25 में कोई रास्ता ही नहीं चल रहा तो बन्द करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। प्रार्थीगण द्वारा तहसीलदार राजस्व की रिपोर्ट का कथन किया गया है व पटवारी हल्का से मिलकर अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में तैयार की गई है, क्योंकि मौका पर कोई रास्ता नहीं चल रहा है। प्रार्थीगण के पास अपने रकबा में आने—जाने के लिये इस रास्ता के अलावा विकल्पिक रास्ता उपलब्ध है, केवल मात्र सुविधा के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है और ना ही प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तावित रास्ता की आत्यन्तिक आवश्कता का कथन किया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी. ए. खारिज किया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 251–ए आर.टी.ए. एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। 251ए राज. काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "वैकल्पिक रास्ते का अभाव" एवं "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" के बिन्दुओं पर विचारण किया गया। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में जाने हेतु रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आने–जाने हेतु रास्ता स्वीकृत किया जाना न्यायिक दृष्टि से आवश्यक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की भूमि चक 1 जैड के खाता संख्या 87/39 के मुरब्बा नम्बर 29 के किला नम्बर 23 व 24 प्रत्येक में दो दो बिस्वा एवम् किला नम्बर 25 में 0.004 हैक्टर रकबा बतौर रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

प्रार्थीगण द्वारा रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा स्वरूप डी.एल.सी. दर दुगना तहसील कार्यालय में जमा करवाए जाने के उपरान्त तहसीलदार राजस्व अभिलेख में रास्ता का अंकन करे एवम् सम्बंधित काश्तकार को अपने स्तर पर राशि का वितरण करना सुनिश्चित करे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिंनाक 03.10.2025 में लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नयन गौतम)आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Nayan Gautam
Date: 2025.12.19 11:25:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner